न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
17 / 20	एफएसएस एक्ट, 2006	28 / 12 / 2020

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर।
–आवेदक

बनाम

1. दीनदयाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक) –फर्म–हेमन्त–नमकीन भण्डार ,कैलाश टाकीज की पास ,बालाजी चौक, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी पदम मील के पास ,मूर्ति मोहल्ला ,गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय   दिनांक 03/05/2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 18 / 08 / 2020 को लगभग 12:20 पी0एम0 पर मैसर्स हेमन्त नमकीन भण्डार ,कैलाश टाकीज के पास ,बालाजी चौक, गंगापुर सिटी पहुँचा । वहां पर दीनदयाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता (फर्म मालिक) उपस्थित था ,विकेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्चर (हेमन्त ब्रान्ड) 500 ग्राम के लगभग 60 पेकिट एक गत्ते के कार्टून में रखे हुए थे के मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्चर (हेमन्त ब्रान्ड) 500 ग्राम पैक के 4 पैकिट नमूना जांच कय कर राशि 400/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्चर (हेमन्त ब्रान्ड) 500 ग्राम पैक के चार पैकिटों को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग रखकर ढक्कन बन्द किया व चार लेबल तैयार करके उनपर स्थान ,दिनांक ,खाद्य वस्तु लिखकर नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा दिनांक 19.08.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक / एमएसएसए / 2020 / 1386 दिनांक 09 / 09 / 2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 1175 / एक्ट / 2020 / 1245 दिनांक 27.08.2020 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्चर (हेमन्त ब्रान्ड) 500 ग्राम का पैक नमूना मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 1175 / एक्ट / 2020 / 1245 दिनांक 27.08.2020 अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्चर (हेमन्त ब्रान्ड) 500 ग्राम का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एक गरीब दुकानदार है जो शुद्ध कच्चा माल इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ से नमकीन बनाकर विक्रय का कार्य करता है। प्रार्थी थोक से नमकीन विक्रय का कार्य नहीं करता है। प्रार्थी जवाबदार उक्त व्यवसाय से किसी तरह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आवेदक द्वारा जो नमकीन जांच हेतु ली गई है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गयी है तथा उक्त नमकीन की थैलिया मिथ्या छाप भी नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध गलत केस बनाया गया है। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है उक्त व्यवसाय से किसी तरह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1175/एक्ट/2020/1245 दिनांक 27.08.2020 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्चर (हेमन्त ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 03/05/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी